बीएड प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन

शिखा अग्रवाल

प्रवक्ता

शिक्षा विभाग

ज्योति कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी बरेली

सारांश

विश्व के सम्पूर्ण प्राणी जीव में केवल मनुष्य ही एक मात्र ऐसा विशिष्ट जीव है जिसने विविध प्रकार के विकास व प्रगति की दिशा में अभूतपूर्व उन्नति की है। मनुष्य के इस अभूतपूर्व विकास प्रक्रिया को वर्तमान रूप प्रदान करने में शिक्षा का सर्वाधिक योगदान है। चूँकि मनुष्य को जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, अतः शिक्षा इन मानवाधिकारों के प्रति मनुष्य को सजग व सतर्क बनाती है।इस में अध्ययन बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन'' है। प्रस्तुत अध्ययन मे सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है तथा अध्ययन के लिंए 100 बीएड प्रशिक्षणार्थियों यादृच्छिक चयन विधि का प्रयोग किया, जिसके अन्तर्गत 4 बी0एड0 कॉलेजों में से प्रत्येक से 25 विद्यार्थियों का चयन किया गया। प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए डॉ विशाल सूद व डॉ आरती आनन्द द्वारा तैयार की गयी ''मानवाधिकार जागरूकता मापनी **(Human RightsAwarenessTest)** का प्रयोग किया।इसमे प्रयुक्त सांख्यिकी विधि के रूप में मध्यमान, मानक विचलन, t–परीक्षण का प्रयोग किया गया। प्राप्त परिणामों के आधार पर निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए स्ववित्तपोषित व सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों में तुलना करने पर देखा गया कि 'मानवाधिकारों के प्रयोग' के सन्दर्भ में पर्याप्त अन्तर है। स्ववित्तपोषित शिक्षण संस्थाओं के पुरूष व महिला बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों के मध्य मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करने पर स्पष्ट हुआ कि मानवाधिकारों के प्रति समग्र जागरूकता में पर्याप्त अन्तर नहीं है। सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के महिला व पुरूष बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों के मध्य मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करने पर स्पष्ट हुआ कि दोनों समूहों के मध्य पर्याप्त अन्तर है।

कूट शब्द . बीएड प्रशिक्षणार्थियों, स्ववित्तपोशित व सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, जागरूकता

प्रस्तावना

विश्व के सम्पूर्ण प्राणी जीव में केवल मनुष्य ही एक मात्र ऐसा विशिष्ट जीव है जिसने विविध प्रकार के विकास व प्रगति की दिशा में अभूतपूर्व उन्नति की है। मनुष्य के इस अभूतपूर्व विकास प्रक्रिया को वर्तमान रूप प्रदान करने में शिक्षा का सर्वाधिक योगदान है। मानव शिशु को एक सामाजिक प्राणी बनाने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्तित्व के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी अपरिपक्वता को परिपक्वता में रूपान्तरित करता है। शिक्षा की प्रक्रिया के द्वारा ही व्यक्ति का शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं सर्वांगीण विकास होता है।

चूँकि मनुष्य को जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, अतः शिक्षा इन मानवाधिकारों के प्रति मनुष्य को सजग व सतर्क बनाती है। मानव अधिकार किसी देश या राज्य की आन्तरिक या घरेलू अधिकारिता के अन्तर्गत नहीं अपितु विश्व मानवता के पक्ष में उसके संरक्षण एवं संवर्द्धन पर बल देते हैं। मानवाधिकार की उन्नति के मार्ग में रूकावट का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि अधिकांश लोग अपने मानवाधिकारों से अंजान हैं। अतः यह अज्ञानता उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करती है। चूँकि अध्यापक पथ–प्रदर्शक होता है, मार्गदर्शक होता है तथा जिसके बारे में कबीरदास ने कहा भी है–

गुरू कुम्हार शिष्य कुम्भ है, गढ़ि–गढ़ि काढ़ै खोट।

अन्दर हाथ सहार है, बाहर मारै चोट।।

व्यापक अर्थों में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली वह सोद्देश्य प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास होता है एवं उसके ज्ञान व कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। अतः जीवन को सुचारू रूप से गतिमान रखने के लिए अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बहुत ही आवश्यक है। यदि हम अपने मानव अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं रहेंगे तो शिक्षित होने का कोई अर्थ नहीं है। शिक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण साधन पाठ्यक्रम है, जिसमें मानव अधिकारों से सम्बन्धित कम से कम एक अध्याय होना ही चाहिए। जिससे हम बच्चों को इन अधिकारों से परिचित करा सकें। अध्यापक अधिकारों से सम्बन्धित कहानी सुनाकर भी बच्चों को जागरूक कर सकते हैं। मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा –पत्र का प्रारूप, मानवाधिकार आयोग द्वारा तैयार किया गया, जिसे महासभा ने कुछ संशोधनों के साथ 10 दिसम्बर, 1948 को स्वीकार किया। घोषणा को 10 दिसम्बर को स्वीकार करने के कारण सम्पूर्ण विश्व में इस तारीख को ''मानवाधिकार दिवस'' के रूप में मनाया जाता है। इस घोाषणा को 'मानवाधिकारों का मैग्नाकार्टा' भी कहा जाता है। यह घोषणा मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता को घोाषित करती है।

अध्ययन की आवश्यकता मानव के समग्र व्यक्तिगत इतिहास में मानव अधिकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि इनकी अनुपस्थिति में मानव की कल्पना नहीं की जा सकती है। पं0 जवाहर लाल नेहरू के अनुसार– ''मानव अधिकार गरिमा, समानता और स्वतंत्रता के लिए

आवश्यक हैं। ये व्यक्ति के सांस्कृतिक और सामाजिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं।'' शिक्षा का उद्देश्य, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, मानवीय व आध्यात्मिक शक्तियों का विकास है। आज हर तरफ भ्रष्टाचार नैतिक मूल्यों का हनन, मानव अधिकारों का हनन देखा जा सकता है। अतः जरूरत है एक ऐसी शिक्षा की, जो मानव अधिकारों के प्रति सचेत करे और ऐसी शिक्षा प्रभावी पाठ्यचर्या और गुरूओं के माध्यम से ही दी जा सकती है। अतः इस लिए ऐसे ही प्रयास के लिए शोध की आवश्यकता प्रतीत हुई।

शोध का शीर्षक(समस्या कथन)

प्रस्तुत अध्ययन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस अध्ययन की समस्या का औपचारिक कथन निम्न है–

''बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन''

अध्ययन का उद्देश्य

किसी भी शोध कार्य का उद्देश्य मानव जाति के ज्ञान में वृद्धि करना होता है।उद्देश्य निर्धारण से शोधकर्ता के परिश्रम, समय तथा धन की बचत होती है। उपर्युक्त शोध शीर्षक से सम्बन्धित उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1. स्ववित्तपोषित व सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में अध्ययनरत् बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

2. स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों मे अध्ययनरत पुरूष व महिला बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियो मे मानवाधिकरो के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

3. सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में अध्ययनरत पुरूष व महिला बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनायें

शोधकर्ता द्वारा निम्न परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया–

1. स्ववित्तपोषित व सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों की, मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

2. स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में अध्ययनरत् बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

3. सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में अध्ययनरत् पुरूष व महिला बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

अध्ययन का सीमांकन

समय अभाव व श्रमशक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में जनपद बरेली के अन्तर्गत आने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के स्ववित्तपोषित व सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को लिया गया हैं

सहित्य का अध्ययन

नारायण 2020 – ने अपने अध्ययन मे बी. एड मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के अध्ययन में पाया कि जीवन एक वास्तविक सत्य है जिसमें शिक्षक शब्द की शिक्षा व्यवस्था का सूत्रधार है!

राणा , धूलिया 2016– ने अपने अध्ययन में 300 विद्यार्थी का न्यायाधीश के रूप में लिया उन्होंने निष्कर्ष में यह पाया कि स्नातक के स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता आवश्यक है तथा उनके पारिवारिक स्वरूप (एकल एवं संयुक्त) तथा उनके वर्ग या संकाय(कला एवं विज्ञान) के आधार पर सार्थक अंतर है

डॉ0 एम0 कीर्ति (2014) इन्होंने अपने शोध ;भ्नउंद त्पहीजे ृंतमदमे ंउवदह ठण्म्कण ैजनकमदजेद्ध के अन्तर्गत 100 बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों पर स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया तथा सर्वे विधि का प्रयोग किया, जिसके अन्तर्गत 4 बी0एड0 कॉलेजों में से प्रत्येक से 25 विद्यार्थियों का चयन किया गया। अतः निष्कर्षों के अनुसार विद्यार्थियों में मानवाधिकारों के प्रति निम्न जागरूकता पायी गयी। परन्तु शैक्षिक व सांस्कृतिक मानवाधिकारों के प्रति उच्च जागरूकता पायी गयी।

शोध विधि

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना है। समस्या की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए इस अध्ययन के लिए शोधार्थी द्वारा सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या

शिक्षा अनुसंधान में जनसंख्या इकाइयों का वह समुच्चय है, जिसके लिए चर मान निकालना अभीष्ट है। जनसंख्या का अर्थ शोध समस्या के अध्ययन क्षेत्र की सम्पूर्ण इकाइयों के समूह से लिया जाता है।

प्रस्तुत अध्ययन में समस्त बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों को अध्ययन की जनसंख्या माना गया है, जो विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

न्यादर्श

सम्पूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला छोटा समूह न्यादर्श या प्रतिदर्श होता है। तथा जिस विधि से सम्पूर्ण जनसंख्या में से छोटे समूह का चयन किया जाता है, उसे प्रतिचयन (न्यादर्श चयन) कहते हैं।

प्रस्तुतष्शोध के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बरेली जनपद के अन्तर्गत आने वाले अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों –

1. बरेली कॉलेज, बरेली
2. खण्डेलवाल कॉलेज ऑफ मैनेजमेण्ट एण्ड टेक्नोलॉजी, बरेली

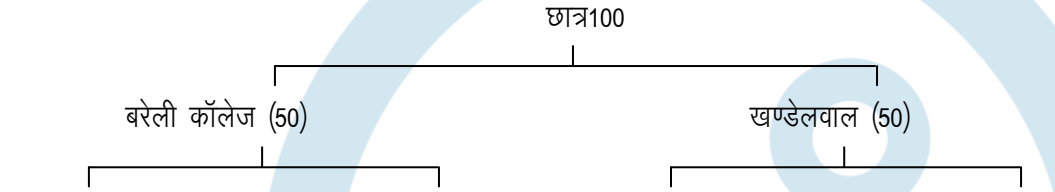

के 50–50 प्रशिक्षणार्थियों (प्रत्येक से 25 छात्राध्यापक व 25 छात्राध्यापिकाओं) का चयन यादृच्छिक चयन विधि से किया गया है।

शोध में प्रयुक्त उपकरण

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य की पूर्ति से सम्बन्धित सभी उपलब्ध उपकरणों पर दृष्टिपात करने पर पाया गया कि डॉ0 विशाल सूद व डॉ0 आरती आनन्द द्वारा तैयार की गयी ''मानवाधिकार जागरूकता मापनी'' **(Human Rights Awareness Test)** अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति करने में सक्षम है। अतः उपकरण के रूप में इस ''मानवाधिकार जागरूकता मापनी'' का चयन किया गया।

आँकड़ों का सारणीयन व फलांकन

आँकड़ों के संकलन के पश्चात उन्हें पृथक–पृथक आयामों में वर्गीकृत कर लिया गया। आँकड़ों को विभिन्न आयामों में वर्गीकृत करने के पश्चात उनका सारणीयन किया गया।

आवश्यकतानुसार मध्यमान, मानक विचलन, t–परीक्षण का प्रयोग किया गया।

मध्यमान –

मानक विचलन –

टी–परीक्षण –

अनुसंधान प्रक्रिया के अन्तर्गत आँकड़ों के संकलन के पश्चात् उन्हें मूर्तरूप देने के लिए उनके सारणीयन, सांख्यिकीय विवेचन तथा विश्लेशण की आवश्यकता होती है। जहाँ सारणीयन के द्वारा वर्गीकृत आँकड़ों को क्रमबद्ध, स्पष्ट व बोधगम्य बनाया जाता है, वहीं सांख्यिकीय विवेचन द्वारा अपरिपक्व प्रदत्तों को अर्थपूर्ण बनाया जाता है।

तालिका 1

स्ववित्तपोषित व सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में अध्ययनरत् बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

क्रमांक	वर्ग	छात्र100	मध्यमान	मानक विचलन	**t**–मान	सार्थकता स्तर
1.	स्ववित्तपोशित संस्थान	50	65.66	9.14	2.34	0.05
2.	सहायता प्राप्त संस्थान	50	70.2	10.24		

' 0.05 स्तर पर सार्थक अन्तर है।

तालिका संख्या 1 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मानवाधिकार जागरूकता मापनी के आधार पर स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्रशिक्षणार्थियों के प्राप्तांकों का मध्यमान 65.66 व मानक विचलन 9.14 तथा सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्रशिक्षणार्थियों के प्राप्तांकों का मध्यमान 70.2 व मानकविचलन 10.24 था। दोनों समूहों के मध्य अन्तर की सार्थकता हेतु ज.परीक्षण का मान 2.34 प्राप्त हुआ जो कि 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक है। अतः शून्य परिकल्पना स्वीकार नहीं की गई अर्थात् दोनों समूहों के मध्य सार्थक अन्तर है। सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्रशिक्षणार्थियों के प्राप्तांकों का मध्यमान अधिक होने के कारण निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्रशिक्षणार्थियों मानवाधिकारों के प्रति सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्रशिक्षणार्थियों से अधिक जागरूक हैं।

तालिका 2

स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में अध्ययनरत बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

क्रमांक	वर्ग	छात्र 50	मध्यमान	मानक विचलन	**t**–मान	सार्थकता स्तर
1.	छात्राध्यापक	25	67.12	8.84	1.14	0.05
2.	छात्राध्यापिका	25	64.20	9.14		

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्ण मानवाधिकार जागरूकता मापनी में प्राप्त अंकों के परिप्रेक्ष्य में स्ववित्तपोशित महाविद्यालयों के पुरूष व महिला प्रशिक्षणार्थियों में लैंगिक आधार पर तुलना करने पर कोई सार्थक अन्तर नहीं प्राप्त हुआ। पुरूष प्रशिक्षणार्थियों के प्राप्तांकों का मध्यमान 67.12व मानक विचलन 8.84 तथा महिला प्रशिक्षणार्थियों के प्राप्तांकों का मध्यमान 64.20व मानक विचलन 9.14 प्राप्त हुआ। इन दोनों के मध्य तुलना करने पर ज.परीक्षण का मान 1.14 प्राप्त हुआ जो कि 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं है। अतः यह स्पष्ट है कि स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के पुरूष व महिला प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता में सार्थक अन्तर नहीं है। जागरूकता के प्रत्येक स्तर पर पुरूष व महिला प्रशिक्षणार्थियों की स्थिति समान है।

तालिका 3

सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में अध्ययनरत पुरूष व महिला बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

क्रमांक	वर्ग	छत्र50	मध्यमान	मानक विचलन	**t**–मान	सार्थकता स्तर
1.	पुरूष	25	70.48	9.91	0.054	0.05
2.	महिला	25	70.32	11.05		

' 0.05 स्तर पर सार्थक अन्तर है।

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मापनी के कुल प्राप्तांकों के आधार पर पुरूष प्रशिक्षणार्थियों का मध्यमान 70.48 व मानक विचलन 9.91 तथा महिला प्रशिक्षणार्थियों का मध्यमान 70.32 तथा मानक विचलन 11.05 प्राप्त हुआ। दोनों समूहों में तुलना करने पर ज.परीक्षण का मान 0.054 पाया गया। जो 0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक नहीं है। अतः शून्य परिकल्पना स्वीकृत होती है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के पुरूष बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों व महिला बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों के मध्य मानवाधिकार जागरूकता में कोई अन्तर नहीं है। मानवाधिकार जागरूकता के प्रति पुरूष व महिला प्रशिक्षणार्थियों की स्थिति समान है। सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में मानवाधिकार जागरूकता लिंग से प्रभावित नहीं है।

अध्ययन के निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना था। अध्ययन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रदत्त संकलन के लिए डा0 विशाल सूद व डा0 आरती आनन्द द्वारा निर्मित मानवाधिकार जागरूकता मापनी का प्रयोग किया गया व उपकरण की सहायता से संकलित प्रदत्तों का सांख्यिकीय विश्लेशण एवं व्याख्या की गई। विश्लेशण से प्राप्त परिणामों के आधार पर निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए :

1. स्ववित्तपोषित व सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों में तुलना करने पर देखा गया कि 'मानवाधिकारों के प्रयोग' के सन्दर्भ में पर्याप्त अन्तर है। सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के बी0एड0 प्रशिक्षणार्थी अपने मानवाधिकारों के प्रयोग के प्रति अधिक जागरूक हैं। जबकि मानवाधिकारों के प्रति समग्र जागरूकता के सन्दर्भ में पर्याप्त अन्तर नहीं है। अतः जागरूकता का सामान्य स्तर है।

2. स्ववित्तपोषित शिक्षण संस्थाओं के पुरूष व महिला बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों के मध्य मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करने पर स्पष्ट हुआ कि मानवाधिकारों के प्रति समग्र जागरूकता में पर्याप्त अन्तर नहीं है। दोनों वर्गों का जागरूकता स्तर समान है।

3. सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के महिला व पुरूष बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों के मध्य मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करने पर स्पष्ट हुआ कि दोनों समूहों के मध्य पर्याप्त अन्तर है। महिला बी0एड0 प्रशिक्षणार्थी, पुरूष बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों की अपेक्षा मानवाधिकार दस्तावेजों की जानकारी अधिक रखती हैं। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्त्रियाँ अपने मानवाधिकारों के प्रति सतर्क हो चुकी है।

अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ

अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष इस ओर स्पष्ट संकेत करते हैं कि अधिकतर बी0एड0 प्रशिक्षणार्थी मानवाधिकारों के प्रति औसत जागरूक हैं। यदि जागरूकता स्तर कहीं उच्च है, तो दस्तावेजों की जानकारी' के सन्दर्भ में तथा 'मानवाधिकारों के प्रयोग' के सन्दर्भ में, सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्रशिक्षणार्थी अधिक जागरूक हैं। अतः बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का स्तर बढ़ाने हेतु कुछ सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, निम्नलिखित हैं–

1. बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों में प्रशिक्षण के समय मानवाधिकार जागरूकता से सम्बन्धित कार्यक्रम, सेमिनार व संगोश्ठियों का आयोजन करना चाहिए।

2. बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों को मानवाधिकार संरक्षण से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता करनी चाहिए।

3. बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों की पाठ्यचर्या में मानवाधिकार जागरूकता से सम्बन्धित कम से कम एक अध्याय अवश्य होना चाहिए।

4. विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में 10 दिसम्बर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस का आयोजन अवश्य करना चाहिए।

5. 28 सितम्बर 1993 से प्रभावी मानवाधिकार संरक्षण कानून का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन होना चाहिए तथा बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों को इस अधिनियम के बारे में समय–समय पर जानकारी प्रदान करना चाहिए।

भावी शोध हेतु सुझाव

प्रस्तुत लघु शोधकार्य में समय व साधन की सीमितता के कारण कुछ सीमायें हैं, जिनकी पूर्ति के लिए भविश्य में होने वाले अनुसंधान के लिए निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं–

1. प्रस्तुत लघु शोध अध्ययन केवल 100 बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों पर सम्पादित किया गया है। इसे बड़े प्रतिदर्श पर सम्पादित किया जा सकता है।

2. प्रस्तुत लघु शोध अध्ययन केवल बरेली जनपद तक सीमित है। इसे उ0प्र0 या राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जा सकता है।

3. प्रस्तुत लघु शोध अध्ययन की भांति अन्य अध्ययन, प्रशिक्षण संस्थानों को शहरी व ग्रामीण में बाँटकर भी किया जा सकता है।

4. प्रस्तुत लघु शोध अध्ययन के समान का अन्य अध्ययन, सेवारत अध्यापकों पर भी किया जा सकता है।

5. प्रस्तुत लघु शोध अध्ययन की प्रवृत्ति का अन्य अध्ययन, शिक्षकों की आयु को वर्गीकृत करके भी किया जा सकता है।

6. प्रस्तुत लघुषोध अध्ययन की तरह का अन्य अध्ययन, सामान्य छात्र व छात्राओं पर भी किया जा सकता है।

7. प्रस्तुत लघु शोध अध्ययन को समकक्ष का अन्य अध्ययन, विवाहित व अविवाहित बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों पर भी किया जा सकता है।

<u>सन्दर्भ ग्रन्थ सूची</u>

इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ एजूकेशनल रिसर्च स्टडी, (सितम्बर, अक्टूबर, 2015, वाल्यूम–९, इशू–ष्ष्)

ूण्बंकमउपंण्मकनध770766ध्नउंद.त्पहीज. ॢतमदमे. ।उवदह.ठण्कण्.जनकमदज

अग्रवाल, एच0ओ0 (2011), मानव अधिकार, इलाहाबाद; सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन।

अवस्थी, षैलेन्द्र कुमार (2005), मानवाधिकार विधि, इलाहाबाद; ओरिएन्ट पब्लिशिंग कम्पनी।

कपूर, एस0के0 (2009), मानव अधिकार एवं अन्तर्राश्ट्रीय विधि, इलाहाबाद; सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी।

कपिल, एच0के0 (2004), अनुसंधान विधियाँ (व्यवहारपरक विज्ञानों में), आगरा; ए0पी0 भार्गव बुक हाऊस प्रकाषन।

गुप्ता, एस0पी0 (2006), मॉडर्न मीजरमेन्ट एण्ड इवेलुवेशन, अलाहाबाद; शारदा पुस्तक भवन।

गैरेट, एच0 ई0 (1997), स्टेटिसटिक्स इन साइकॉलॉजी एण्ड एजुकेशन, न्यूयॉर्क; लॉन्गमॉन ग्रीन एण्ड कम्पनी।

पाण्डेय, रामशकल (2012), उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, आगरा; अग्रवाल पब्लिकेशन।